

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:-

14/8/20

विषय- कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल
₹ 6,26,45,536/- (छः करोड़ छब्बीस लाख पैतालीस हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार ₹ 6,26,45,536/- (छः करोड़ छब्बीस लाख पैतालीस हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, भुआ	33340	कैमूर जिलान्तर्गत भुआ जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का अटल कला भवन का निर्माण कार्य	798/ 25.02.25	25313656 (दो करोड़ तिरपन लाख तेरह हजार छः सौ छप्पन रुपये)
02.	भवन प्रमंडल, नवादा	33401	नवादा जिला मुख्यालय में 620 क्षमता का अटल कला भवन का निर्माण कार्य	771/ 10.02.25	26157983 (दो करोड़ इकसठ लाख संतावन हजार नौ सौ तिरासी रुपये)
03	भवन प्रमंडल, बांका	33391	बांका जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का सभागार का निर्माण कार्य	554/ 19.11.24	10554737 (एक करोड़ पाँच लाख चौवन हजार सात सौ सैतीस रुपये)
04	भवन प्रमंडल, अरवल	803अनु/ 30.06.26	अरवल जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का अटल कला भवन, अरवल का निर्माण कार्य	799/ 25.02.25	436920 (चार लाख छत्तीस हजार नौ सौ बीस रुपये)
05	भवन प्रमंडल, कटिहार	1509अनु 0/21.07. 26	कटिहार जिला मुख्यालय में 620 क्षमता का अटल कला भवन का निर्माण कार्य	249/ 18.07.26	182240 (एक लाख ब्यासी हजार दो सौ चालीस रुपये)
कुल राशि					62645536

(छः करोड़ छब्बीस लाख पैतालीस हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0107-सांस्कृतिक संरचना, विपत्र कोड-03-4059600510107 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0107.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।





3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्यवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जायेगी।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 7670 (1)

पटना, दिनांक:-

14/8/26

प्रतिलिपि:- सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, संबंधित/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 7670 (1)

पटना, दिनांक:-

14/8/26

प्रतिलिपि:- सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/ मुख्य अभियंता(संबंधित)/ निदेशक अनुश्रवण/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल/ सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु तथा आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।